(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री बृजमोहन पुत्र बेणीराम राठौर उम्र 34वर्ष जाति तेली निवासी हाउसिंग बोर्ड, झालावाड़ रोड, बाराँ(मौके पर मौजूद मालिक व विक्रेता)। मैसर्स गजेन्द्र किराना स्टोर, हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ रोड बारां।
2. श्रीमती संगिता माहेश्वरी निवासी वार्ड नं0 25 मांगरोल रोड बारां। मैसर्स के0 आर0 ट्रेडर्स, बौहरा बगीची, किरण मार्केट बाराँ।
3. श्री ओम प्रकाश शारदा, निवासी मनोहर थाना, झालावाड राजस्थान(पार्टनर–1)। मैसर्स साई श्याम एजेन्सी, प्लॉट नं0 25, चम्बल इण्ड0 एरिया कोटा।
4. श्री युगल किशोर, निवासी 1009 महावीर नगर–1 कोटा(पार्टनर–2)। मैसर्स साई श्याम एजेन्सी, प्लॉट नं0 25, चम्बल इण्ड0 एरिया कोटा।
5. श्री मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम, निवासी 187 दहीखेडा, तह0 खानपुर, जिला झालावाड(पार्टनर–3)। मैसर्स साई श्याम एजेन्सी, प्लॉट नं0 25, चम्बल इण्ड0 एरिया कोटा।
6. मैसर्स साई श्याम एजेन्सी, प्लॉट नं0 25, चम्बल इण्ड0 एरिया कोटा।
7. श्री तेजस शशिकान्त भाई टोलिया(नोमिनी) Apricot Foods Pvt.Ltd.(Metoda), Plot No. G-2410, G.I.D.C. Lodhika Allminghty Road, Village- Metoda, Kalawad Road, Rajkot, Gujrat.
8. Apricot Foods Pvt.Ltd.(Metoda), Plot No. G-2410, G.I.D.C. Lodhika Allminghty Road, Village- Metoda, Kalawad Road, Rajkot, Gujrat.

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वंय उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 2, 3, 5, 6)
4– श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 4)
5– श्री रितेश भारद्वाज अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 7 व 8)

निर्णय दिनांक 15.09.2020

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.12.2017 को श्री मैसर्स गजेन्द्र किराना स्टोर, हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री बृजमोहन पुत्र बेनीराम राठौर [illegible] मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 13:22:42 IST
Reason: SelfAttested

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 27.12.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम** पैकिंग में विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम** में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम** के 56 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री बृजमोहन पुत्र बेनीराम राठौर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को राशि 280/– रूपये (अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम** को चार नमूना भागो मे अलग–अलग कर कार्टून गत्ता में मूल भरकर प्रत्येक नमूना भाग हेतु लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–790 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–790 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री बृजमोहन पुत्र बेनीराम राठौर ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 13:22:42 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/21 दिनांक 15.01.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 999/FSSA/Kota/Act/2018/14 दिनांक 09.01.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 26 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स गजेन्द्र किराना स्टोर, हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ रोड, बारॉ से पत्रांक 22 दिनांक 15.01.2018 से सूचना चाही गई, जिसकी पालना में मैसर्स गजेन्द्र किराना स्टोर, हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ रोड, बारॉ द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की प्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 17.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 स्वंय उपस्थित रहा है। अप्रार्थी क्रम 4,7,8 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहे है एवं अप्रार्थी क्रम 2,3,5,6 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी क्रम 4,7,8 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नहीं कर अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण मे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम** पैकिंग को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा (2) (ll) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ll) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम पैकिंग** वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा था। जिसमे हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है। जॉच रिपोर्ट अनुसार जो त्रुटि की गई है वो दुरूस्त कर ली गई है। प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 4 को दिनांक 27.12.2017 को पार्टनर–2 दर्शाया गया है जो गलत है। चूंकि उक्त दिनांक से पूर्व उसके द्वारा पार्टनरशीप समाप्त कर ली गई थी। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 999/FSSA/Kota/Act/2018/14 दिनांक 09.01.2018 से असन्तुष्ट था, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त [illegible] की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 13:22:42 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **चटपटा पास्ता (ई–विटा नमकीन) 35 ग्राम पैकिंग** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 999/FSSA/Kota/Act/2018/14 दिनांक 09.01.2018 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा (2) (ाा) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1,2,3,4,5 एवं 6 को राशि 500/–रू., 500/–रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 7 व 8 को 1,500/–रू., 1,500/–रूपये पत्रावली में कुल जुर्माना राशि 6,000/– रूपये (अक्षरे छः हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 2,3,5,6 के इस न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि जर्ये तहरीर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 13:22:42 IST
Reason: SelfAttested